

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 101/2013

संस्थित दिनांक-10/9/2013

- 1- करु उर्फ तुरंत पुत्र काशीराम कोरी,
आयु 20 साल
- 2- दिनेश उर्फ भोंदा पुत्र काशीराम,
आयु 22 साल निवासीगण खटीक मोहल्ला,
परगना गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ---अपीलार्थीगण/आरोपीगण
वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री कमलेश समाधिया अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-284/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक
23/1/2013 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 30 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशव सिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 284/2006 निर्णय दिनांक-23/1/2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा-504, 323/34, 326/34 भा0दं0सं0 के अपराध में क्रमशः 6-6 माह, 6-6 माह एवं 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और क्रमशः दो-दो सौ रुपये, दो-दो सौ रुपये तथा पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि करु और दिनेश के मामा का लड़का फरियादी कामताप्रसाद की बहिन आहत सीमा को भगाकर ले गया था, जिसपर उसे उनके मध्य रंजिश है एवं आहतगण एवं आरोपीगण एक ही स्थान के निवासी हैं, यह भी निर्विवादित है कि आहत बैजन्ती आहत कामताप्रसाद की मां और आहत सीमा उसकी बहिन है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-फरियादी कामताप्रसाद ने अपनी मां बैजन्ती व बहिन सीमा के साथ दिनांक-8/4/2006 के 10:00 बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि करु उर्फ तुरन्त व भोंदा गाली गलौच

कर रहे थे, उसने गालियां देने से मना किया तो करू ने उसके चाकू मारा, जो उसके बांये हाथ की हथेली में लगा चोट होकर खून निकल आया, उसकी मां व बहिन बचाने आयी तो भौंदा ने उसकी मां के डंडा मारा जो उसकी मां के दाहिने कंधा में लगा, मुंदी चोट आयी तथा एक डण्डा उसकी बहिन के मारा जो बांये पुटटे पर लगा, मुंदी चोट आयी । एक डण्डा और मारा जो उसकी बहिन के सिर में बांयी तरफ लगा । मुंदी चोट आयी । मौके पर दीपा, सरस्वती आ गयी, जिन्होंने बीच बचाव किया । जिसपर से थाना गोहद में अदम चैक क्रमांक-70/06 पंजीबद्ध किया गया एवं जांच उपरांत थाना गोहद द्वारा अपराध क्रमांक-66/06 भा0दं0सं0 की धारा-323, 504, 326 तथा 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-504, 323, 324/34, 326/34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा-504, 323/34, 326/34 भा0दं0सं0 के अपराध में क्रमशः 6-6 माह, 6-6 माह एवं 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और क्रमशः दो-दो सौ रुपये, दो-दो सौ रुपये तथा पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अभियोजन साक्षी क्र.-1 कामताप्रसाद ने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 एवं न्यायालय के समक्ष अंकित किए गये कथन में चाकू बांये हाथ में लगना बताया है, जबकि अ.सा.-2 सीमा एवं अ.सा.-3 बैजन्ती ने कामताप्रसाद के दाहिने हाथ में चाकू लगना बताया है । जबकि अ.सा.-4 डॉ. जी.आर. शाक्य ने एवं पुलिस रिपोर्ट में हथेली में चाकू लगता बताया है, हथेली में धारदार हथियार से चोट लगना बताया है, लेकिन हथेली में कोई फँक्चर नहीं है, इससे उनके कथन परस्पर विरोधाभासी हैं । अ.सा.-1 के अंगूठे में फँक्चर आना अपनी प्रदर्श पी.-5 की रिपोर्ट में होना पाया है, जबकि कामताप्रसाद के अंगुली में कोई चोट एफआईआर, पुलिस कथन, न्यायालय कथन में नहीं बताया है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया है ।

6. अ.सा.-3 बैजन्ती ने जिरह के पैरा-2 में यह कहा है कि उसने नहीं देखा कि चाकू किसने मारा । कामताप्रसाद ने पुलिस रिपोर्ट में स्वयं को गाली देना बताया है, जबकि न्यायालय के समक्ष अंकित कथन में सीमा को गालियां देना बताया है, जब वह बचाने आया तब झगडा होना कहा है । अ.सा.-2 सीमा ने पैरा-3 के अंत में कहा कि घटना के समय चाकू उसने नहीं देखा, वह ते छत पर थी, जबकि कामताप्रसाद ने सीमा को बचाने आने पर झगडा होना कहा है । सीमा ने पुलिस कथन में भौंदा के द्वारा चाकू से

मारना बताया है, जबकि अ.सा.-1 कामताप्रसाद को करू उर्फ तुरंत ने चाकू मारना बताया है । इस प्रकार तीनों ही साक्षियों के कथन आपस में विरोधाभासी होकर अभियोजन कहानी को प्रमाणित नहीं करते हैं, किन्तु उक्त विरोधाभासों को नजर अंदाज करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

07— अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं विधान के प्रतिकूल होकर निरस्त किए जाने योग्य है। साक्षी के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। आरोपीगण के मामा का लडका कामताप्रसाद की बहिन सीमा को भगाकर ले गया था, जिसपर उसे उनके मध्य रंजिश चली आ रही है, आहतगण ने सोच समझकर झूठा साजिश कर आरोपीगण को रंजिश झूठा फंसाया है। ऐसी स्थिति में न्यायालयीन कथन व पुलिस कथनों में विरोधाभास सामने आये हैं । उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे । जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि आरोपीगण द्वारा गंभीर उपहति कारित की गयी, उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।

08. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर जी.आर. शाक्य अ.सा.-4 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक-8/4/2006 को

सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस द्वारा लाये जाने पर आहत वैजनी पत्नी रामनाथ की चोट का परीक्षण कर प्रदर्श पी.-2 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार कना बताया है । बैजनी के बांये कंधे पर नीलगू निशान 4 X 2 से.मी. का आना बताया है तथा सीमा पुत्री रामनाथ का मेडीकल परीक्षण कर प्रदर्श पी.-3 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना कहा है, जिसके बांये कमर के नीचे आधा X आधा से.मी. का छिला हुआ निशान और सिर में दर्द की शिकायत आना कही है । दोनों की चोटें सख्त भौथरी वस्तु की होकर साधारण प्रकृति की बतायी हैं तथा उसी दिन कामताप्रसाद पुत्र रामनाथ की प्रदर्श पी.-4 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए उसके बांये हथेली पर एक कटा हुआ घाव 3.5 X 0.5 से.मी. त्वचा की गहराई तक आना बताया है, जो किसी सख्त व धारदार हथियार से पहुंचायी गयी चोट थी और बांये हाथ में सूजन व दर्द की शिकायत बतायी थी, जो किसी सख्त वस्तु से पहुंचायी गयी चोट थी तथा चोट ताजा बतायी है ।

10. कामताप्रसाद के हाथ का एक्सरे परीक्षण करना भी बताया है, जिसकी अंगुली में अस्थि भंजन पाया था और उसकी प्रदर्श पी.-5 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार की थी । उक्त चिकित्सक ने बैजनाथ और सीमा की चोट गिरने पर और कामता की चोट नुकीले पत्थर पर गिरने से आने की संभावना भी प्रकट की है । उसके मुताबिक कामताप्रसाद के अंगूठे में चोट थी, वहां कोई कटा हुआ घाव नहीं था और उसकी चोट 6 घण्टे के भीतर की थी तथा बांये हाथ की हथेली में घाव होकर खून निकल रहा था । हथेली में कोई अस्थि भंजन नहीं था ।

11. इस प्रकार से उक्त चिकित्स के द्वारा आहतगण की चोट की मेडीकल व एक्सरा रिपोर्ट प्रमाणित की गयी है । प्रदर्श पी.-2 लगायत-4 की एम.एल.सी. रिपोर्टों के अवलोकन करने पर तीनों ही आहत का परीक्षण एक ही समय सुबह 10:30 बजे किया गया है, जबकि तीनों परीक्षण में समय में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिये, क्योंकि एक व्यक्ति के परीक्षण में यदि पांच मिनट का समय भी चिकित्सक को लगे तो 5-5 मिनट का अंदर आयेगा । ऐसे में प्रदर्श पी.-2 लगायत-4 की मेडीकल रिपोर्ट यांत्रिक रूप से तैयार की जाना बचाव पक्ष द्वारा कहा है, उसे बल मिलता है । आहतगण कामताप्रसाद की चोट क्रमांक-1 के आधार पर धारा-326 भा. दं.वि.की का आरोप विरचित हुआ था । प्रदर्श पी.-4 की एम.एल.सी. में दाहिने हाथ के प्रथम अंगुली में मेटाकार्पल हड्डी में अस्थि भंजन प्रकट किया है, जो ताजी चोट थी और प्रदर्श पी.-5 की एक्सरे रिपोर्ट में उसे चिकित्सक द्वारा अस्थि भंजन बांये हाथ में पहले पांचवी अंगुली में बताया, फिर **Fifth** शब्द काटकर **Frist** लिखा गया । इसलिये प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी उसका मिलना करना होगा कि वास्तव में कौन सी चोट थी और क्या वह घटना में उत्पन्न हुई । यह भी विचारणीय रहेगा कि क्या आरोपीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई घटना घटित की गयी, उसमें ही आहतगण को चोटें आयी, क्योंकि अपीलार्थीगण का यह तर्क रहा है कि रंजिश के कारण झूठा फंसा दिया है और चोटें गिरने से आयीं होंगी ।

12. प्रकरण में रंजिश का बिन्दु स्वीकृत तथ्य के रूप में है और रंजिश एक ऐसी दुधारु तलवार की तरह से है, जो दोनों तरफ से वार करती है । अर्थात् जहां एक ओर रंजिशन झूठा फंसाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर घटना भी की जा सकती है । इसलिये यह आधार प्रत्येक मामले के तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उससे किस पक्ष को लाभ होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रूली एवं अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य 2002 एस.सी.सी. (किमिनल) पेज-1837** अवलोकनीय है ।

13. वर्तमान मामले में आहतगण की ओर से इस बात की रंजिश बतायी गयी है कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण करु उर्फ तुरंत और दिनेश उर्फ भौंदा के मामा का लड़का आहत सीमा को घटना के पहले भगा ले गया था, जो अ.सा.-1 लगायत-अ.सा.-3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं । ऐसे में उनका अभिसाक्ष्य अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा । क्योंकि रंजिश का बिन्दु विद्यमान है । तभी चिकित्सीय साक्ष्य से घटना का समर्थन होता है या नहीं, यह तय किया जा सकता है, क्योंकि कथानक में घटना घर के बाहर बतायी गयी है और कामता के बांये हाथ की हथेली में चाकू मारना और उससे घाव होकर खून निकलना कहा गया है, जबकि डाक्टर डी.आर. शाक्य मुख्य परीक्षण में तो कामता के चोट क्र.-1 बांये हथेली में कटे घाव के रूप में बताते हैं, जबकि प्रतिपरीक्षण में पैरा-6 में वह कामताप्रसाद को दाहिने हाथ में चोट बताता है, जिससे उसका एक्सरे करवाया और हाथ के अंगूठे में चोट बताता है, जिसपर कोई कटा घाव नहीं था । फिर पैरा-7 में वह बांये हाथ की हथेली में घव हाकर खून निकलना बताता है, जिसमें कोई अस्थि भंजन नहीं था । अर्थात् उक्त चिकित्सक अपने कथन पर स्थिर नहीं है और वह कभी दांयी, कभी बांया हाथ बताता है । एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-5 में भी पहले **Fifth** मेटाकारपल हडडी लिखा गया, फिर **Fifth** शब्द को काटकर **Frist** किया गया, जो दाहिने हाथ में बताया गया । ऐसे में कामताप्रसाद की कटे घाव की वास्तविक चोट किस हाथ या हथेली में थी, इस बारे में विरोधाभासी चिकित्सीय साक्ष्य है । चिकित्सक के प्रतिपरीक्षण में जो विसंगतियां आयी हैं, उसके द्वारा अभियोजन ने पुनः परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट नहीं करायी है और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चिकित्सक की साक्ष्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया तथा यथावत उसे गृहण कर लिया गया, जो कि कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसे में भी मौखिक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ।

14. कामताप्रसाद अ.सा.-1 के मुताबिक पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण के द्वारा गालियां दिया जाना बताया गया है, उसके मुताबिक आरोपीगण उसकी बहिन सीता को मारने के लिए आये थे और मां बहिन की गंदी गंदी गालियां दी थीं । जब वह अपनी बहिन को बचाने के लिए गया तो करु ने उसे चाकू मारा, जो बांये हाथ में लगा, उस समय वह और उसकी मां घर पर अकेली थी, पहले आरोपीगण ने उसकी बहिन को मारा

था, बचाने पर उसे और उसकी मां को भी मारा । उसकी मां और बहिन को दोनों आरोपियों ने लाठी से मारा, जबकि चिकित्सक के मुताबिक कामताप्रसाद की मां बैजन्ती को केवल 4 x 2 से.मी. का बांये कंधे पर नीलगू के रूप में चोट है और सीमा को भी एक चोट बांये पुट्टे (पटक) पर बतायी गयी है और सिर में दर्द की शिकायत बतायी है । यदि दो व्यक्तियों के द्वारा लाठी से प्रहार कर चोट पहुंचायी जाये तो ऐसे में निश्चय ही बैजन्ती और सीमा को पायी गयी चोटों से भिन्न प्रकृति की चोटें स्वाभाविक रूप से आयेंगी । इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जहां रंजिश हो, वहां ऐसे बिन्दु तात्त्विक महत्व रखते हैं ।

15. कामताप्रसाद अ.सा.-1 ने स्वयं के संबंध में यह बताया है कि उसे करू ने चाकू मारा, जो बांये हाथ में लगा था, जब कि कामताप्रसाद के प्रदर्श पी.-4 की एम.एल.सी. रिपोर्ट मुताबिक उसके दांये हाथ में कटे घाव की चोट आयी है और उसी तरह प्रदर्श पी.-5 के मुताबिक अस्थि भंजन है, ऐसे में आहत कामताप्रसाद की चोट क्रमांक-1 जिसके आधार पर धारा-326 भा.दं.वि. का अपराध बताया गया, उसके संबंध में शरीर के अंग बाबत ही मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है तथा कामताप्रसाद द्वारा पैरा-2 के अंत में यह भी कहा गया कि उसे चाकू सामने से मारा गया था । दोनों आरोपी एक साथ आये थे और चाकू उसकी हथेली में नहीं लगा था । फिर पैरा-3 में वह हथेली में चाकू लगने की बात पुलिस को बताना भी कहता है, जिस चाकू का प्रयोग किया गया, वह एक बालिस का होकर बटनदार था । लेकिन अनुसंधान में कोई चाकू जप्त नहीं हुआ तथा कथानक में बटनदार चाकू का कोई उल्लेख नहीं है ।

16. कामताप्रसाद के द्वारा न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते समय व्यक्त करते हुए साक्ष्य देना प्रकट होता है, जो कि उसकी विश्वसनीयता को प्रश्नगत करता है । हालांकि आरोपीगण के विरुद्ध इस आधार पर झूठी रिपोर्ट लगाने से इंकार कर दिया है कि आरोपीगण के मामा का लडका उसकी बहिन सीमा को भगाकर ले गया था, वह अस्पताल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना बताता है, जबकि मेडीकल परीक्षण सुबह 10:30 बजे हुआ है और प्रदर्शी पी.-1 की धारा-155 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध रिपोर्ट ही सुबह 10 बजे हुई थी, उसके बाद मेडीकल को भेजा गया था, ऐसे में कामताप्रसाद का 9:30 बजे मेडीकल के लिए पहुंच जाना और सुबह 9 बजे रिपोर्ट कर देना भी दस्तावेजों से भिन्नता रखता है, क्योंकि 9 बजे की तो घटना ही है और घटनास्थल से थाने की दूरी दो फलांग बतायी गयी है । एफ.आई.आर. की कायमी अवश्य मेडीकल व एक्सरे रिपोर्ट के बाद की गयी । लेकिन प्रदर्श पी.-1 की मेडीकल के पूर्व लेखबद्ध करायी गयी ।

17. कामताप्रसाद अ.सा.-1 के द्वारा दी गयी अभिसाक्ष्य में मौके पर 10-12 लोगों का इकट्ठा होना बताया है, जो आसपास के थे, लेकिन उन्होंने बीच बचाव नहीं किया, जबकि मुख्य परीक्षण में वह मां और उसका अकेला होना बताता है । प्रदर्श पी.-1 के मुताबिक घटना घर के बाहर हुई,

जैसा कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.-6 से भी दर्शित होती है, जिसमें घटनास्थल खण्डा रोड, फरियादी के मकान के बाहर सामने बतायी गयी है, जबकि अन्य आहत सीमा अ.सा.-2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में घटना छत पर बताती है कि आरोपीगण उसे अपनी छत पर दिखे थे और उसे भोंदा ने चांटे मारे थे । करुआ ने पकड़ा था, करुआ ने ही उसके भाई को चाकू मारा था, जो दांहिने हाथ में लगा था और किसीने नहीं बचाया । उसने और उसकी मां ने ही बचाया था । वह स्वयं की चोट के संबंध में यह कहती है कि आरोपीगण ने उसे गुप्तांग में ईंट मारी थी जिसका भी चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है, क्योंकि गुप्तांग में कोई चोट बतायी ही नहीं गयी है और ईंट का तो प्रदर्श पी.-1 में उल्लेख ही नहीं है तथा सीमा के सिर में कोई चोट नहीं पायी गयी । उसने दर्द की शिकायत अवश्य की थी, उसकी मां के भी बांये हाथ में चोट कहती है, जबकि प्रदर्श पी.-2 में बांये कंधे पर है, इसके अलावा सीमा पैरा-2 में घटना होली के आसपास की रात 9 बजे की अंधेरे की बताती है, जबकि कथानक मुताबिक सुबह 9 बजे की और 8/4/2006 की अर्थात् होली के बाद की होनी चाहिये ।

18. सीमा करु पर चाकू होना बताती है, उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी.-1 में चाकू भोंदा पर ही बताया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि उसका भाई घर के बाहर गया तो करु तथा भोंदा ने उसके चाकू मार दिया । भोंदा द्वारा चाकू मारना वह पुलिस को लिखाने से इंकार करती है, कथानक में छत की घटना नहीं है। कथानक मुताबिक सबसे पहले कामताप्रसाद को मारा और बचाने पर उसकी मां और बहिन को मारा गया जबकि कामताप्रसाद अ.सा.-1 और सीमा अ.सा.-2 दोनों ही पहले मारपीट सीमा की बताते हैं और उनकी मां बैजनती अ.सा.-3 के मुताबिक वह यह नहीं देख पायी कि पहले किसने, किसको मारा, वह करु उर्फ तुरंत के हाथ में चाकू देखना कहती है, जिसने कामताप्रसाद के बांये हाथ में मारना बताया है, जिससे अंगूठा कटा गया था, जबकि चिकित्सक के मुताबिक अंगूठा की चोट में कोई कटा घाव नहीं था, बैजनती भोंदा के भी हाथ में चाकू बताती है, जो कथानक में नहीं है और वह भी रात 9 बजे की घटना बताती है ।

19. इस तरह से घटना के समय के संबंध में भी अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 लगायत-3 में स्पष्टतः विरोधाभास हैं, चोटों के संबंध में भी विरोधाभास है और उसकी चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है और तीनों ही साक्षी अ.सा.-1 लगायत-3 अपने अपने तरह से घटना का विकास करते हुए अभिसाक्ष्य दिया है, क्योंकि बैजनती के मुताबिक आरोपीगण छत पर नहीं गये जो अंत में यहां तक स्वीकार करती है कि उसे वकील साहब ने जैसा समझाया, वैसा ही वह कथन दे रही है । ऐसे में स्थिति सिखाये-पढाये साक्षी की हो जाती है, जो विश्वसनीय नहीं रह जाती है । **हालांकि दाण्डिक विचारण में एक बात में मिथ्या तो दूसरी बात में मिथ्या का सिद्धांत भारतवर्ष में लागू नहीं है । जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत रणजीत सिंह विरुद्ध अन्य एवं म.प्र. राज्य ए.आई.आर.-2010 एस.सी.-255 में प्रतिपादित किया गया है ।**

20. यह सही है कि दाण्डिक मामले में किसी भी साक्षी पर केवल रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है और इस मामले में अ.सा.-1 लगायत-3 केवल रिश्ते के ही साक्षी नहीं हैं, घटना के आहत भी हैं और आहत साक्षी का विधि में विशेष महत्व है इसलिये जिस तरह के विरोधाभास उनके अभिसाक्ष्य में आये हैं, उससे रंजिश के आधार पर घटना का विकास करना और महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर स्पष्ट विरोधाभास होने से उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती है, क्योंकि चिकित्सक भी स्वमेव विरोधाभासी है। ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आरोपीगण के मामा के लडके के द्वारा आहत सीमा को बतायी गयी तथाकथित घटना के पूर्व भगा ले जाने की रंजिश पर से उन्हें असत्य तरीके से अभियोजित करा दिया। क्योंकि जो कटा हुआ घाव अ.सा.-4 के द्वारा कामताप्रसाद को बताया गया वह नुकीले पत्थर पर गिरने से भी आने की संभावना प्रकट की है, जबकि घटना में चाकू जैसे तेज धार वाले हथियार का उपयोग बताया है। इससे भी घटना संदेह की परिधि में आ जाती है और जिस तरह के विरोधाभास हैं, उससे अ.सा.-1 लगायत-3 के किसी भी कथन पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तोर पर विश्लेषण में लेकर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला, जो तथ्य एवं परिस्थितियों और दाण्डिक विधि के मान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्योंकि यांत्रिक रूप से कोई निर्णय नहीं होना चाहिये। प्रत्येक मामले के तथ्य, परिस्थितियों और आयी साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये, जिसका वर्तमान मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालन करना नहीं पाया जाता है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रह जाता है।

21. प्रकरण में अन्य साक्षी प्र.आर. देवेन्द्र सिंह अ.सा.-5 के मुताबिक उसके द्वारा प्रदर्श पी.-9 की एफ.आई.आर. लेखबद्ध की गयी, जो कि मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर की गयी। ऐसे में वह औपचारिक साक्षी हो जाता है, किन्तु अ.सा.-1 लगायत-4 के विश्वसनीय ना पाये जाने से प्रदर्श पी.-6 की एफ.आई.आर. को उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और चिकित्सक का विरोधाभासी साक्ष्य देना अभियोजन के लिए अत्यंत घातक है क्योंकि चिकित्सक से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं के द्वारा किए गये मेडीकल परीक्षण के बारे में ही भ्रमपूर्ण स्थिति में रहे। जहां किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य में से सत्य को खोजना असंभव हो जाये अर्थात् भूसे में दाने इस प्रकार मिले हों जिन्हें अलग न किया जा सकता हो वहां ऐसे साक्षी पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रंजीत सिंह एवं अन्य विरुद्ध एम.पी.-(2011) वॉल्यूम II एस.सी.सी. (किमिनल)-277 अवलोकनीय है।**

22. घटना के विवेचक प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ.सा.-6 ने विवेचना प्राप्त होने पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करना बताया है, मामले में प्रदर्श पी.-6 के रूप में एफ.आई.आर. भी अंकित है और नक्शा मौका भी अंकित है, जिसका विचारण के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिये

और निर्णय के समय यदि एक से अधिक, एक ही क्रमांक से प्रदर्शित हो गया है तो उसके बारे में टीप लगायी जानी चाहिये कि किस दस्तोवज को किस रूप में पढा जा रहा है । ऐसा आलोच्य निर्णय में कहीं भी प्रकट नहीं होता है । प्रदर्श पी.-7 और 8 के गिरफ्तारी पंचनामा उक्त साक्षी ने तैयार करना बताये हैं, जो कि औपचारिक दस्तावेज हैं, क्योंकि गिरफ्तारी मात्र से कोई घटना प्रमाणित नहीं होती है और सुस्थापित दाण्डिक विधि मुताबिक प्रत्येक मामले में सिद्धीभार हमेशा ही अभियोजन पर होता है । उक्त विवेचक ने साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताये हैं, किन्तु जो तात्विक विरोधाभास ऊपर विश्लेषण मुताबिक प्रकट हुए हैं, उनके मुताबिक विवेचक का कोई स्पष्टीकरण नहीं है । ऐसे में उसकी साक्ष्य से भी घटना को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

23. ऐसे में जो चोटें चिकित्सक द्वारा घटना दिनांक-8/4/2006 को आहतगण को पायी, वे चोटें आरोपीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा ही पहुंचायी गयी, इस बारे में संदेह की स्थिति है और जिसतरह की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उससे सुस्थापित रंजिश के बिन्दु का लाभ आरोपीगण/अपीलार्थीगण को प्राप्त होगा ।

24. फलतः अपील में लिए गये आधार सद्भावी और सुसंगत पाये जाते हैं । फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील विचारणोपरांत स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक-23/1/2013 को अपास्त करते हुए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-326/34, 323/34 एवं 504 भा.दं.वि. के आरोप के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा जप्त अर्थदण्ड विद्वान अधीनस्थ न्यायालय वापिस करे ।

25. अपीलार्थीगण/आरोपीगण के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये जाते हैं ।

26. प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति नहीं है। अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलार्थी/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: 30 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड